वास्ते आदेश पत्रावली [illegible] 28/01/26 को पेश हो।

28/01/26 पत्रा॰ पेश हुई। आज बार एसो॰ द्वारा कार्य स्थगित किया गया हैं। अत. पत्रावली दिनॉक 5/2/26 को पेश हो।

5/2/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप॰ दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता के स्थान पर वादीगण को विवादित आराजी (खसरा नं. 357 को छोड़कर) पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा गया।

पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

# डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

## मु0 उ0 जमुना बगै0 बनाम संतोष बगै0

दावा बाबत् 88, 89,53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 69/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .................. मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर . हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 169 रकवा 0.24, 347 रकवा 0.31, 368 रकवा 0.23, 369 रकवा 0.21, 388 रकवा 0.34, 392 रकवा 0.27, 394 रकवा 0.09, 407 रकवा 0.18, 410 रकवा 0.01, 411 रकवा 0.21, 467 रकवा 0.40, 468 रकवा 0.41, 478 रकवा 0.22, 479 रकवा 0.23, 481 रकवा 0.40, 482 रकवा 0.33, 483 रकवा 0.48, 491 रकवा 0.38, 496 रकवा 0.48, 535 रकवा 0.19, 567 रकवा 0.74, 58 रकवा 0.33, 59 रकवा 0.01, 60 रकवा 0.43, 61 रकवा 0.43, 66 रकवा 1.03, 70 रकवा 0.01, 71 रकवा 0.08 किता 29 रकवा 8.73 वाके ग्राम खेडिया जगा तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04/02/26 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत—

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

| मुद्दई | रूप्या | पैसा | मुद्दालय | रूप्या | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अराजी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | म्हनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बवत इजराय हुक्मनामा | | |
| बावत इजराय हुक्म नामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |
| | | | | | |

1. जमुना पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
2. लक्ष्मीनारायण पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
3. प्रेमचंद पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
4. नारायण सिंह पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
5. श्यामवती पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
6. लज्जा पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
7. ओमवती पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।

—वादीगण

बनाम

1. संतोष पुत्र इन्दल जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
2. विरमा पुत्री इन्दल पत्नि इन्दर सिंह जाति जाट हाल निवासी सोगर तहसील कुम्हेर।
3. रामवती पुत्री इन्दल पत्नि महेन्द्र जाति जाट हाल निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
4. रत्ती पुत्री इन्दल पत्नि ध्रुव जाति जाट हाल निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
5. नीलम पुत्री इन्दल पत्नि वीरी सिंह जाति जाट हाल आबाद निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
6. प्रकाशी पुत्री इन्दल पत्नि मुकेश जाट निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
8. सब रजिस्ट्रार, नदबई
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 69 / 2020
जीसीएमएस नं0 2020 / 00175
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.02.2026

1. जमुना पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
2. लक्ष्मीनारायण पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
3. प्रेमचंद पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
4. नारायण सिंह पि0 गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
5. श्यामवती पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
6. लज्जा पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
7. ओमवती पुत्री गम्भीर जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।

—वादीगण

बनाम

1. संतोष पुत्र इन्दल जाति जाट निवासी खेडिया जगा तहसील नदबई।
2. विरमा पुत्री इन्दल पत्नि इन्दर सिंह जाति जाट हाल निवासी सोगर तहसील कुम्हेर।
3. रामवती पुत्री इन्दल पत्नि महेन्द्र जाति जाट हाल निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
4. रत्ती पुत्री इन्दल पत्नि ध्रुव जाति जाट हाल निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
5. नीलम पुत्री इन्दल पत्नि वीरी सिंह जाति जाट हाल आबाद निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
6. प्रकाशी पुत्री इन्दल पत्नि मुकेश जाट निवासी पिपरउ तहसील नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
8. सब रजिस्ट्रार, नदबई
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री बृजेश कुमार एड0 (वादी की ओर से)

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

## : निर्णय : दावा अन्त.धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 169 रकवा 0.24, 347 रकवा 0.31, 357 रकवा 0.06, 368 रकवा 0.23, 369 रकवा 0.21, 388 रकवा 0.34, 392 रकवा 0.27, 394 रकवा 0.09, 407 रकवा 0.18, 410 रकवा 0.01, 411 रकवा 0.21, 467 रकवा 0.40, 468 रकवा 0.41, 478 रकवा 0.22, 479 रकवा 0.23, 481 रकवा 0.40, 482 रकवा 0.33, 483 रकवा 0.48, 491 रकवा 0.38, 496 रकवा 0.48, 535 रकवा 0.19, 567 रकवा 0.74, 58 रकवा 0.33, 59 रकवा 0.01, 60 रकवा 0.43, 61 रकवा 0.43, 66 रकवा 1.03, 70 रकवा 0.01, 71 रकवा 0.08 किता 29 रकवा 8.73 वाके ग्राम खेडिया जगा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता गम्भीर सिंह व प्रतिवादीगण के पिता इन्दल सिंह के नाम खातेदारी काश्तकारी चली आ रही है। वादीगण का सजरा पत्रावली में संलग्न है।
4. यह है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता के नाम है, चूंकि वादीगण के पिता फौत हो चुके है। जिसके कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता के नाम वाहिद इन्द्राजात से वादीगण को सक्त हक तलफी है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में वादीगण के पिता गम्भीर के नाम के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
5. यह है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदयंति आ गई है। जिसके कारण से वह विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा डौर मेढ में लगान आदि पर तनाजा बना रहता है। जिसके कारण से अब शामिल काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी वादपत्र की आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करा पाने के अधिकारी है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

**उपखण्ड अधिकारी**
**नदबई (भरतपुर)**

अ) यह है कि विवादित आराजी वादीपत्र की आराजी वादीगण के पिता गम्भीर के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित वादपत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें रहनवय मुन्तकिल न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम खेडियाजगा पेश की गयी एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में लक्ष्मीनारायण पुत्र गम्भीर जाति जाट निवासी खेडियाजगा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस सुनी गई । वादी की ओर से वादी अधिवक्तागण की ओर से अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 169 रकवा 0.24, 347 रकवा 0.31, 357 रकवा 0.06, 368 रकवा 0.23, 369 रकवा 0.21, 388 रकवा 0.34, 392 रकवा 0.27, 394 रकवा 0.09, 407 रकवा 0.18, 410 रकवा 0.01, 411 रकवा 0.21, 467 रकवा 0.40, 468 रकवा 0.41, 478 रकवा 0.22, 479 रकवा 0.23, 481 रकवा 0.40, 482 रकवा 0.33, 483 रकवा 0.48, 491 रकवा 0.38, 496 रकवा 0.48, 535 रकवा 0.19, 567 रकवा 0.74, 58 रकवा 0.33, 59 रकवा 0.01, 60 रकवा 0.43, 61 रकवा 0.43, 66 रकवा 1.03, 70 रकवा 0.01, 71 रकवा 0.08 किता 29 रकवा 8.73 वाके ग्राम खेडिया जगा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के पिता गम्भीर सिंह व प्रतिवादीगण के पिता इन्दल सिंह के नाम खातेदारी काश्तकारी चली आ रही है। विवादित आराजी वादीगण के पिता के नाम है, चूंकि वादीगण के पिता फौत हो चुके है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित सजरा का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण मृतक गम्भीर के वारिसान है। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता के नाम वाहिद इन्द्राजात चले आ रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण के पिता गम्भीर के नाम के

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

जात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। जमाबंदी संवत 2073–2076 के अवलोकन से ष्ट है कि राजस्व रिकॉड जमाबंदी में खसरा नं0 357 रकवा 0.0600 गै0 मु0 स्कूल दर्ज है। जिस पर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना कानूनन खिलाफ है। उक्त खसरा नम्बर को छोडकर शेष आराजी पर वादीगण को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हैं इसलिए वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। चूंकि दावा में साथ ही धारा 53 आरटीए के तहत् बंटवारे हेतु रिलीफ चाहा गया है, जिसके लिए उक्त दावा की घोषणात्मक खातेदारी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में होने के बाद ही पृथक से दावा पेश किया जावे। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 169 रकवा 0.24, 347 रकवा 0.31, 368 रकवा 0.23, 369 रकवा 0.21, 388 रकवा 0.34, 392 रकवा 0.27, 394 रकवा 0.09, 407 रकवा 0.18, 410 रकवा 0.01, 411 रकवा 0.21, 467 रकवा 0.40, 468 रकवा 0.41, 478 रकवा 0.22, 479 रकवा 0.23, 481 रकवा 0.40, 482 रकवा 0.33, 483 रकवा 0.48, 491 रकवा 0.38, 496 रकवा 0.48, 535 रकवा 0.19, 567 रकवा 0.74, 58 रकवा 0.33, 59 रकवा 0.01, 60 रकवा 0.43, 61 रकवा 0.43, 66 रकवा 1.03, 70 रकवा 0.01, 71 रकवा 0.08 किता 29 रकवा 8.73 वाके ग्राम खेडिया जगा तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/02/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)